

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

सं0सं0-07/रा0आ0मि0-39-01/2021- 81 (7A)/पटना, दिनांक- 13/02/2026

स्वास्थ्य विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-352(7), दिनांक-06.10.2025 के द्वारा 19,79,91,700/- (रूपये उन्नीस करोड उनासी लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 13,19,94,466/- (रूपये तेरह करोड उन्नीस लाख चौरानबे हजार चार सौ छियासठ) मात्र अर्थात कुल राशि रू0 32,99,86,166/- (रूपये बत्तीस करोड निन्यानबे लाख छियासी हजार एक सौ छियासठ) मात्र और स्वीकृत्यादेश संख्या-52(7ए), दिनांक-29.01.2026 के द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की समानुपातिक बकाया राशि क्रमशः राशि रू0 5,51,00,000/- एवं रू0 3,67,33,334/- अर्थात कुल राशि रू0 9,18,33,334/- (रूपये नौ करोड अठारह लाख तैंतीस हजार तीन सौ चौतीस) मात्र राज्य आयुष समिति को उपलब्ध कराये जाने संबंधी व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति दी गयी है।

2. उपरोक्त वर्णित स्वीकृत्यादेश संख्या-352(7), दिनांक-06.10.2025 के कडिका-03,06,07 एवं 14 को निम्नरूप से संशोधित किया जाता है:-

कडिका 03:-

उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2025-26 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रू0 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) में से 19,79,91,700/- (रूपये उन्नीस करोड उनासी लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) में से रू0 13,19,94,466/- (रूपये तेरह करोड उन्नीस लाख चौरानबे हजार चार सौ छियासठ) मात्र अर्थात कुल राशि रू0 32,99,86,166/- (रूपये बत्तीस करोड निन्यानबे लाख छियासी हजार एक सौ छियासठ) मात्र के व्यय के निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना, राज्य के सभी जिला आयुष समिति तथा आयुष प्रक्षेत्र के कॉलेज एवं अस्पताल के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

कडिका 06:-

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना एवं राज्य के सभी जिला आयुष समिति तथा आयुष प्रक्षेत्र के कॉलेज एवं अस्पताल Implimenting Agency के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसी को SNA-SPARSH के अन्तर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जा रही है।

कडिका 07:-

इस राशि की निकासी राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग बिहार होंगे। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला आयुष समिति एवं आयुष प्रक्षेत्र के कॉलेज एवं अस्पताल हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्राचार्य/अधीक्षक होंगे। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ होंगे। राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना एवं राज्य के सभी जिला आयुष समिति तथा आयुष प्रक्षेत्र के कॉलेज एवं अस्पताल आदि समस्त कार्यान्वयन एजेंसिया भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निदेशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

५

कंडिका 14:-

राशि की निकासी राज्य आयुष समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार कार्यालय से की जायेगी

3. उपरोक्त कंडिका के अतिरिक्त वर्णित स्वीकृत्यादेश संख्या-52(7ए), दिनांक-29.01.2026 के कंडिका-05,08,09 एवं 16 को निम्नरूप से संशोधित किया जाता है:-

कंडिका 05:-

उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए **Mother Sanction** के रूप में **SAAP 2025-26** में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि ₹0 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद से ₹0 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹0 42,18,19,500/- (रूपये बयालीस करोड अठारह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ) मात्र के विरुद्ध केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की समानुपातिक बकाया राशि क्रमशः राशि ₹0 5,51,00,000/- एवं ₹0 3,67,33,334/- अर्थात् कुल राशि ₹0 9,18,33,334/- (रूपये नौ करोड अठारह लाख तैंतीस हजार तीन सौ चौतीस) मात्र के व्यय के निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना, राज्य के सभी जिला आयुष समिति तथा आयुष प्रक्षेत्र के कॉलेज एवं अस्पताल के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

कंडिका 08:-

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना एवं राज्य के सभी जिला आयुष समिति तथा आयुष प्रक्षेत्र के कॉलेज एवं अस्पताल **Implimenting Agency** के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसी को **SNA-SPARSH** के अन्तर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जा रही है।

कंडिका 09:-

इस राशि की निकासी राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग बिहार होंगे। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला आयुष समिति एवं आयुष प्रक्षेत्र के कॉलेज एवं अस्पताल हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्राचार्य/ अधीक्षक होंगे। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ होंगे। राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना एवं राज्य के सभी जिला आयुष समिति तथा आयुष प्रक्षेत्र के कॉलेज एवं अस्पताल आदि समस्त कार्यान्वयन एजेंसिया भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निदेशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।


कंडिका 16:-

राशि की निकासी राज्य आयुष समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार कार्यालय से की जायेगी

4. प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-रा0आ0मि0-39-01/2021- के पृष्ठ-.....86...../टि0 पर प्राप्त है।

5. स्वीकृत्यादेश संख्या-352(7), दिनांक-06.10.2025 एव स्वीकृत्यादेश संख्या-52(7ए), दिनांक-29.01.2026 की शेष सभी कड़िकाएँ यथावत् रहेगी।

अनुलग्नक- स्वीकृत्यादेश संख्या-352(7), दिनांक-06.10.2025 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-52(7ए), दिनांक-29.01.2026 की छायाप्रति ।


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव ।


ज्ञापांक:- 07/रा0आ0मि0-39-01/2021- 81 (7A) स्वास्थ्य, पटना, दिनांक:- 13/02/2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबंधक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना/ संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्राचार्य/अधीक्षक/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/निदेशक (आयुर्वेद), आयुष निदेशालय, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-16, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7 एवं 16 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव ।
Sharan

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचंद पटेलपथ, पटना।

द्वारा- आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 06/10/2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2025-26 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रू0 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) में से 19,79,91,700/- (रूपये उन्नीस करोड़ उनासी लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) में से रू0 13,19,94,466/- (रूपये तेरह करोड़ उन्नीस लाख चौरानबे हजार चार सौ छियासठ) मात्र अर्थात कुल राशि रू0 32,99,86,166/- (रूपये बत्तीस करोड़ निन्यानबे लाख छियासी हजार एक सौ छियासठ) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F No.C-281 दिनांक-04.08.2025 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में कुल केन्द्रांश राशि 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य आयुष समिति अपने पत्रांक-530 (SASB), दिनांक-21.08.2025 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2025-26 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रू0 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) मात्र अर्थात कुल राशि रू0 42,18,19,500/- (रूपये बयालीस करोड़ अठारह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- ज्ञातव्य हो कि वित्त विभागीय पत्रांक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

3- उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2025-26 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रू0 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) में से 19,79,91,700/- (रूपये उन्नीस करोड़ उनासी लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) में से रू0 13,19,94,466/- (रूपये तेरह करोड़ उन्नीस लाख चौरानबे हजार चार सौ छियासठ) मात्र अर्थात कुल राशि रू0 32,99,86,166/- (रूपये बत्तीस करोड़ निन्यानबे लाख छियासी हजार एक सौ छियासठ) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय राज्य आयुष समिति के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

4- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-F No. 1281 दिनांक-04.08.2025 द्वारा प्राप्त राशि एवं केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश की राशि को जोड़ते हुए कुल राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.No	Budget Head	Central Share	State Shares	Total Amount
1	3601-06-101-050231	7,22,67,100	4,81,78,066	12,04,45,166
2	3601-06-101-050235	12,57,24,600	8,38,16,400	20,95,41,000
3	3601-06-789-030231	3,00,00,000	2,00,00,000	5,00,00,000
4	3601-06-789-030235	2,00,00,000	1,33,33,334	3,33,33,334
5	3601-06-796-030231	32,00,000	21,33,334	53,33,334
6	3601-06-796-030235	19,00,000	12,66,666	31,66,666
	Total-	25,30,91,700	16,87,27,800	42,18,19,500

5- वर्तमान में सामान्य घटक के अंतर्गत उपलब्ध राशि से केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

(i) केन्द्रांश मद :-

मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष-200-अन्य पद्धतियां, उपशीर्ष-0202-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210022000202, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9153, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 10,00,00,000/-में से रु० 28,80,000 /-(रुपये अट्ठाईस लाख अस्सी हजार) मात्र, विषय शीर्ष-31 05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि कुल रु० 25,00,00,000/-में से रु० 12,57,24,600 /-(रुपये बारह करोड सन्तावन लाख चौबीस हजार छः सौ) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 75,00,00,000/-में से रु० 6,93,87,100-(रुपये छः करोड तेरानवे लाख सतासी हजार एक सौ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(ii) राज्यांश मद :-

राज्यांश मद की राशि केन्द्रांश मद की विपत्र कोड से विकलनीय होगा जिसके तहत मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष-200-अन्य पद्धतियां, उपशीर्ष-0202-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210022000202, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9158, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 10,00,00,000/-में से रु० 19,20,000. /-(रुपये उन्नीस लाख बीस हजार) मात्र, विषय शीर्ष-31 05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि कुल रु० 25,00,00,000/-में से रु० 8,38,16,400 /-(रुपये आठ करोड अडतालिस लाख सोलह हजार चार सौ) मात्र एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 75,00,00,000 /-में से रु० 4,62,58,066-(रुपये चार करोड बासठ लाख अन्तावन हजार छियासठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

6- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को SNA SPARSH Model के अंतर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

7- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। राज्य आयुष समिति भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र सं०-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

8- योजना अतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

9- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अतर्गत विभाग द्वारा राज्य आयुष समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है -

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	SNA SPARSH खाता का नाम	SNA SPARSH खाता संख्या
National Ayush Mission	GOBHSPARSH BR176BrNAM9158, Reserve Bank Of India, Patna	01585501193

10- राज्य आयुष समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

11- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि(2) दिनांक- 17.04.98, 2880 /वि(2) दिनांक-06.05.2006 एवं 2938/वि(2) दिनांक- 08.04.2008 एवं राज्यादेश संख्या- 256/वि० दिनांक 26.02.2019, 732/वि० दिनांक-31.07.2019, 1081/वि० दिनांक-11.12.2019 एवं 12888/वि० दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।


13- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 7/रा०आ०मि०-39-01/2021 के पृष्ठ- 63/टि० पर प्राप्त है।

14- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

15- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16- यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- स०स०-7/रा०आ०मि०-39-01/2021-352 (7) स्वा०, पटना, दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/निदेशक (आयुर्वेद), आयुष निदेशालय, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-16, स्वास्थ्य विभाग/वित्त प्रबंधक, राज्य आयुष समिति, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7 एवं 16 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित


सरकार के अपर सचिव।



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचंद पटेलपथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 27/01/2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2025-26 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रू० 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू० 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) अर्थात् कुल राशि रू० 42,18,19,500/- (रूपये बयालीस करोड़ अठारह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ) मात्र के विरुद्ध केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की समानुपातिक बकाया राशि क्रमशः राशि रू० 5,51,00,000/- एवं रू० 3,67,33,334/- अर्थात् कुल राशि रू० 9,18,33,334/- (रूपये नौ करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार तीन सौ चौतीस) मात्र राज्य आयुष समिति को उपलब्ध कराये जाने संबंधी व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति।

महाशय

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबन्ध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-F.No.C-281 दिनांक-04.08.2025 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में कुल केन्द्रांश राशि 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र के व्यय का Mother Sanction प्राप्त हुआ है।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य आयुष समिति के पत्रांक-530 (SASB), दिनांक-21.08.2025 के द्वारा प्रेषित मांग पत्र के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-352(7), दिनांक-06.10.2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2025-26 में स्वीकृत सामान्य घटक अंतर्गत केन्द्रांश मद की राशि रू० 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) में से 19,79,91,700/- (रूपये उन्नीस करोड़ उनासी लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद से रू० 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) में से रू० 13,19,94,466/- (रूपये तेरह करोड़ उन्नीस लाख चौरानबे हजार चार सौ छियासठ) मात्र अर्थात् कुल राशि रू० 32,99,86,166/- (रूपये बत्तीस करोड़ निन्यानबे लाख छियासी हजार एक सौ छियासठ) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- वर्तमान में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2025-26 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रू० 25,30,91,700/- (रूपये पच्चीस करोड़ तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद से रू० 16,87,27,800/- (रूपये सोलह करोड़ सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) मात्र अर्थात् कुल राशि रू० 42,18,19,500/- (रूपये बयालीस करोड़ अठारह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ) मात्र के विरुद्ध केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की समानुपातिक बकाया राशि क्रमशः राशि रू० 5,51,00,000/- एवं रू० 3,67,33,334/- अर्थात् कुल राशि रू० 9,18,33,334/- (रूपये नौ करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार तीन सौ चौतीस) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

4- ज्ञातव्य हो कि वित्त विभागीय पत्रांक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित रकीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

5- उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2025-26 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रु0 25,30,91,700/- (रुपये पच्चीस करोड तीस लाख इक्यानबे हजार सात सौ) मात्र एवं इसक समानुपातिक राज्यांश मद से रु0 16,87,27,800/- (रुपये सोलह करोड सतासी लाख सत्ताईस हजार आठ सौ) मात्र अर्थात कुल राशि रु0 42,18,19,500/- (रुपये बयालीस करोड अठारह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ) मात्र के विरुद्ध केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की समानुपातिक बकाया राशि क्रमशः राशि रु0 5,51,00,000/- एवं रु0 3,67,33,334/- अर्थात कुल राशि रु0 9,18,33,334/- (रुपये नौ करोड अठारह लाख तैतीस हजार तीन सौ चौतीस) मात्र के व्यय के निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय राज्य आयुष समिति के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

6- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No.C-281 दिनांक-04.08.2025 द्वारा प्राप्त राशि एवं केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश की राशि को जोड़ते हुए कुल राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.No	Budget Head	Central Share	State Shares	Total Amount
1	3601-06-101-050231	7,22,67,100	4,81,78,066	12,04,45,166
2	3601-06-101-050235	12,57,24,600	8,38,16,400	20,95,41,000
3	3601-06-789-030231	3,00,00,000	2,00,00,000	5,00,00,000
4	3601-06-789-030235	2,00,00,000	1,33,33,334	3,33,33,334
5	3601-06-796-030231	32,00,000	21,33,334	53,33,334
6	3601-06-796-030235	19,00,000	12,66,666	31,66,666
	Total-	25,30,91,700	16,87,27,800	42,18,19,500

7- वर्तमान में SC एवं ST घटक के अंतर्गत उपबंधित राशि से बकाया केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा-

(i) केन्द्रांश मद :-

➤ मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210027890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9158, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु0 18,00,00,000/- में से रु0 5,00,00,000/- (रुपये पाँच करोड) मात्र, की राशि विकलनीय होगी।

➤ मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210027960201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9158, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु0 2,50,00,000/- में से रु0 51,00,000/- (रुपये इक्कावन लाख) मात्र, की राशि विकलनीय होगी।

(ii) राज्यांश मद :-

राज्यांश मद की राशि अधोलिखित केन्द्रांश मद के विपत्र कोड में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210027890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9158, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु0 18,00,00,000/- में से रु0 3,33,33,334/- (रुपये तीन करोड तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ चौतीस) मात्र, की राशि विकलनीय होगी।

➤ मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210027960201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9158, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 2,50,00,000/-में से रु० 34,00,000/- (रुपये चौतीस लाख) मात्र, की राशि विकलनीय होगी।

8- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना कार्यान्वयन एजेसी के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु कार्यान्वयन एजेसी राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को SNA SPARSH Model के अंतर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

9- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। राज्य आयुष समिति भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र सं०-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

10- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

11- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य आयुष समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	SNA SPARSH खाता का नाम	SNA SPARSH खाता संख्या
National Ayush Mission	GOBHSPARSH BR176BrNAM9158, Reserve Bank Of India, Patna	01585501193

12- राज्य आयुष समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा नियमानुसार Form GFR12C में भारत सरकार को भी उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

13- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि(2) दिनांक- 17.04.98, 2880/वि(2) दिनांक-06.05.2006 एवं 2938/वि(2) दिनांक- 08.04.2008 एवं राज्यादेश संख्या- 256/वि० दिनांक 26.02.2019, 732/वि० दिनांक-31.07.2019, 1081/वि० दिनांक-11.12.2019 एवं 12888/वि० दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

14- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 7/रा०आ०मि०-39-01/2021 के पृष्ठ- 77 /टि० पर प्राप्त है।

15- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

16- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

17- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

18- यह मात्र राज्यादेश है, एतदसंबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण) 29.1.26.

सरकार के अपर सचिव

How

ज्ञापक- स०स०-7/रा०आ०मि०-39-01/2021-52 (7A)/स्वा०, पटना, दिनांक 29/01/2026

प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं आयुष नंत्रालय, नई दिल्ली, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/अवर सचिव-सह-निकारसी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/निदेशक (आयुर्वेद), आयुष निदेशालय, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-16, स्वास्थ्य विभाग/वित्त प्रबंधक, राज्य आयुष समिति, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7 एवं 16 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

Muse